

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-03082020-220810
SG-DL-E-03082020-220810

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]	दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2020/श्रावण 12, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 82
No. 145]	DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2020/SRAVANA 12, 1942	[N. C. T. D. No. 82

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

xg ¼ l kekJ; ½ foHkkx

vf/k l puk

दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

Qk- l- 9@70@2020&xg ¼ l k-½@2427&41.-दिल्ली कारागार नियमावली 2018 के नियम 2 के उपनियम 39 के साथ पठित दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 (2002 का दिल्ली अधिनियम संख्या 2) की धारा (2) की उपधारा (1) के खंड (आर) के प्रावधानों के अनुसरण में माननीय गृह मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्वारा आवश्यक होने की स्थिति में क्वारंटीन सुविधा के उपयोग के लिये पुलिस आवासीय परिसर में पुलिस क्वार्टर, मंडोली जेल के निकट, दिल्ली, को कोविड-19 महामारी को देखते हुए अगले आदेश तक "अस्थायी जेल" के रूप में स्थापित करती है।

माननीय गृह मंत्री के आदेश से तथा उनके नाम पर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,

एम. के. अग्रवाल, उप-सचिव, गृह

HOME (GENERAL) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 31st July, 2020

F.No.9/70/2020-Home (G)-2427-41.—In pursuance of the provisions of clause (r) of sub-section (1) of Section 2 of the Delhi Prisons Act, 2000 (Delhi Act No. 2 of 2002) read with sub-rule 39 of Rule 2 of the Delhi Prisons Rules 2018, the Hon'ble Minister of Home, Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare Police Quarters in the Police Housing Complex adjoining Mandoli Jail, Delhi as "Temporary Jail", till further orders, in view of COVID-19 pandemic.

By Order and in the Name of the Hon'ble Minister of Home,

National Capital Territory of Delhi,

M.K. AGGARWAL, Dy. Secy., Home